कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून जनपद देहरादून

पत्रांक 460 2016 दिनांक 26-7-2016 <u>वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन</u> <u>निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

दिनांक ६. न. १७ को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमत्रीं ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी गावं मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया । जिस हेतु 3.528 हैक्ट0 भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा /ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति – देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मित से परित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी– देहरादून सदर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 3.528 हैक्ट0 भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी – देहरादून सदर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है हा०धारमागरा रविनाथ रमन) शंखधर) (डन्त्र सीरजन पापडें) जिलाधिकारी देहरादून प्रभाशीका बनाधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी मसूरी वन प्रभाग देहरांद्न histrict Montistrate देहरादून

पू०स० / डी०एल०आर०सी० / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

(रविनाथ रमन) जिलाधिकारी देहरादून

Vistrial Magistrian Debtaduse

प्रपत्र 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government Of Uttarakhand

Office Of The District Collector Dehradun

No 460 2016

Dated 26.7.2011

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.528 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Div PMGSY, DEHRADUN for the Construction of Purkul Village to Bhitarli- Kimari (10.400 Km) in DEHRADUN district falls within jurisdiction of Bhitarli village in Dehradun tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the (a) FRA has been carried out for the entire 3.528 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2. 23, 23.1
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as (b) required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it: \
- The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups (c) and Pre-agricultural communities.

Eucl: -As above.

अधिशासी अभियन्त, पी.एम.जी.एस.वाई. तिषाई जन 6. इन्दिरा नगर, देहराबू

Signature (Full name and official seal of the District Collector) District Dehrada

FORM-II (For projects other than linear projects)

Government Of Uttarakhand

Office Of The District Collector Dehradun

No 460 2016

Dated 26 - 7 . 2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that <u>3.528</u> hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Div PMGSY, Dehradun for the Construction of Purkul Village to Bhitarli- Kimari (10.400 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Bhitarli village in Dehradun tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>3.528</u> hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Chaura-Golthi villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :-As above.

अधिशासी अभियन्ता. सारमाजी एम.वार्थ. सिंचाई छ 6. इत्विरा नगर , वेहराइ

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Debrodum Place; 26/7/16

Dated:.....

त्वरमस्त अभिव वी.एम.जी.एस.वा 6. इन्दिरा नगर

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committee

परियोजना का नाम	:	प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सहसपुर विकास
		खण्ड में पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग , के नव निर्माण हेतु
		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

22 2

IIIIA

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरुकुल गांव से भितरली—किमाडी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 2.345 हे0, सिविल सोयम वनभूमि 1.183 हे0,) अर्थात कुल 3.528 हे0, वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष उपखण्ड—स्तरीय वनाधिकारी समिति, तहसील सदर देहरादून तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम 2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण किसी अनुसूचित जनजाति /वनवासी की भूमि अधिग्राहित नही हो रही है व नहीं किसी जनजाति /वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

cn

अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड देहरादून

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून

(डा० धीरज पाण्डे) प्रमागीयो वनाधिकारी गरी मस्री वन प्रभागग, मध्य देहरादून

(रविनाथ रमन) जिलाधिकारी देहरादन

Staffist Magiatente Raki settin.

प्रपत्र 30.3 परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून.

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग (2.345 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.183 हे० सिविल एवं सोयम शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.528 हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 312 19-9 301 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	्रहस्ताक्षर	
श्री अर् छन्द् अगा जपजिलाधिकारी देहरादून	अध्यक्ष	संह द र र र र र र र र र र र र र र र र र र	1. asa -
श्री केण काण करता	सदस्य	्राची बन प्र	1 17
श्री उनार्टिनिन्दोरी सहायक समाज कल्याण	सदस्य / सचिव	Cor THIN T THIN	(द्विक) x
श्रीमती प्रार्थी हिन्दा ही बीठडीठसीठ	सदस्य	A STATE OF GOLD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	(हरातन)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से गही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अत्यान करपण गण कि जलाधिकारी की अनुमति से

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.528 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम संडक योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.528 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> उप जिजाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- देहरादून जनपद- देहरादून

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून . को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- देहरादून जनपद- देहरादून

परियोजना का नाम	:- प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सहसपुर विकास	खण्ड में
	पुरुकुल गांव से मितरली–किमाडी मोटर मार्ग , के नव निर्माण हेतु वन भूमि ह	स्तान्तरण
	प्रस्ताव ।	

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम पुरुकुल तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **देहरादून** के अर्न्तगत **पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (2.345 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.183 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, रेक्टि... हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.528 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विमाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **पुरुकुल** द्वारा दिनांक <u>क</u> कि सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **पुरुकुल** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

81

देहराद्द

ग्राम सचिव महर सहित 101 2119 JUST MELET जिल्ला-बेहरायून

प्रपन्न 30.5

दिनांक . मृण्यभ्य को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत पुरुकुल there! हस्ताक्षरसदस्य ज़िला पंचायत एवं जिला योजना समिति ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम कमांक דיקהואתון אושאל בוצריו אושי שויה ו שרוואוהו ואמושיון אושיון 1 देहरादून and the of a stand The yndernia 2 みち いしいち そうのうかっ 4014/52 3 पापली ואת והת ואין לה ניינות אים אין לא ניינות אייווים אייווים אייווים אייווים אייווים אייווים אייווים אייווים אייווים 4 נט לטובצורושטיז בצווצי נשמה צו שביואה לביווי 5 TH पचायत יויושושל צרי הוות רושצ שנו אב וה ובראו 6 הוקדואב ערשונים של האינות שישיע שיל בניגים 7 tàn म प्रमुख सहसपु खण्ड सहर 8 2415 ME SI- 19 - 21 12 ME देहरादून 9 -417 THE SIDER AT THE 4245 THE FORTHERS 10 YOUNE MOUCH 10 11 2N-SIRSO स्वि सी सलकामिर उठ रलागांव 12 mina So Les 4-55 CTS BALLEN 13 CHT-SUD MALEN 4544041 14 maler insta mind मातरम 5915 धीयत ०३ जन्दीही Fuld , 4544 Ald 15 ज्वाडी भारती पुर, देव्यून 16 নিতত্তত লা

ग्राम प्रधान

परियोजना का नामः— प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड़ में पुरूकुल गांव से भितरली—किमाड़ी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम पुरूकुल तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून के अन्तर्गत पुरूकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 2.345 है0, भूमि 1.183 है0, सिविल सोयम भूति शून्य है0 वन पंचायत भूमि है0) अर्थात कुल 3.528 है0, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालल द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पुरूकुल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंठख० पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	
	त्रान रागा न उपारचरा पारक ग्रानवासिया क नाम	हस्ताक्षर
1	महेन्द्र छताप भिर्देश अत्तम बिर्ट	3 Loubs
2	राकेरा ९० द्याराम्	zust
3	संजय कु - चतर पहे	Sayjay singh
4	मुजाम कुठ न्येरन छिटे	Shur
5	पुर्वन रागा के हरके वहादूर राग	R
6	प्रतन रागा कु हरके कहादुर् रागा दरीश रागा कु हरके कहादुर्रा	Pawcen
7	जुनील कु कांतिराम	Haring Renner
8	राख्ये रभाग कु केए राम काना देश	Radbushy
9	- pini 487 . wo. regula -	and at
10	हरिश यापनी डा॰ देवी सिंह	Harry
11	स्वनि सापसी हुल. देवी सिष्ट	as
12	अजम स्विरं २० - यत्वर खिरे	MIGH
13	अगिम्न 612 80. विक्र सिर	. \
14	+197+ girs slo. 75 417	Aresh
15	34-3 Le Eaund Do using 26 asur monoris	- wegen
	24:51 रिष्ट्याप् 87 del. 4 लाग 14 E	
16	274- EINERINGHOLD OF ACTURE	*24/28 BF

ग्राम पंचायत का नाम- पुरूकुल



परियोजना का नामः— प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड़ में पुरूकुल गांव से भितरली—किमाड़ी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

> वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम भितरली (बसावट कन्धार उर्फ कन्ड्रियाना, काकामन्धार उर्फ काकडीमजार, छोटी भितरली, बड़ी भितरली) तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून के अन्तर्गत पुरूकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 2.345 है0, भूमि 1.183 है0, सिविल सोयम भूति शून्य है0 वन पंचायत भूमि है0) अर्थात कुल 3.528 है0, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालल द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भितरली (बसावट कन्धार उर्फ कन्ड्रियाना,


काकामन्धार उर्फ काकडीमजार, छोटी भितरली, बड़ी भितरली) द्वारा दिनांक. 3-2-6 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भितरली (बसावट कन्धार उर्फ कन्ड्रियाना, काकागन्धार उर्फ काकडीमजार, छोटी भितरली, बड़ी भितरली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिं०ख० पी०एम०जी०एस०वाई०, देहरादून (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत का नाम– भितरली (बसावट कन्धार उर्फ कन्ड्रियाना, काकामन्धार उर्फ काकडीमजार, छोटी भितरली, बड़ी भितरली)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	747 102 870 507 192	Bhrh
2	Fitig So 2050y cut	J25 /27
3	धान सिंह 80-पंदन सिंह	ante
4	गाजेन्द्र सिंह की साहनावी	side AL
5	rorate log & train it's	9
6	Sitor (ATA) Tote	mimilar
7	- 4807 107 8, 22T 10	न्य रेग्रेसिंह
8	497 18 2 8 547 CB	पवन हेर्न्ह
9	STUTS, STUDE	J'HER?
10	7321 10280 -2127 102	नामेत्राहिई
11	अत्यादांग छा इत्यापर	तोताराजा .
12	CHUTE 1 8/0 X (0) (6)	जागरीयांदिर
13	मार्गामें कु न्यता मिर्ट	Atta
14	CITZLIN So Lavain	GD -1221 HT#5
15	ELATO LOS BOMEN	E2-ITTAL
16	32 93 102 30 - 48 (10)	- 05 tu-3 thi
17	-UN-P 102 90 2107 1872	Barnes



परियोजना का नामः— प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड़ में पुरूकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम क्यारकुली भट्टा (बसावट दुबाणा उर्फ क्यार)

तहसील देहरादून, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून के अन्तर्गत पुरूकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 2.345 है0, भूमि 1.183 है0, सिविल सोयम भूति शून्य है0 वन पंचायत भूमि है0) अर्थात कुल 3.528 है0, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालल द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा (बसावट दुवाणा उर्फ क्यार) द्वारा दिनांक [14] [42] [6] को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्यारकुली भट्टा (बसावट दुवाणा उर्फ क्यार)के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिं०ख0 पी०एम0जी०एस0वाई0, देहरादून (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	
	गा रागा न उनारवरा पारच्छ प्रानवारिया के नाम	हस्ताक्षर
1	272321870 542 172	Ream
2	महेन्द्र छिट्ट कु स्टारम छिट् मतीप कु जोर्ग्वेंद्र छिट्ट	Altra)
3	1 1 1	Menjeli
4	219-5 my afs o w/ w/hr mind	Jærei
5	You 142 8% 000 - ENI 102	MED
6	Eur Pi So Et PE	5-92172 2192
7	्रेजानी रावत जीव जीम (मेरेराष्ट्र	र्श्वे रावन
8	year faite Ficip	power singh
9	जाजन्द्र रिंह कु टेकेन सिट्टे	JJJGJ
10	GHTON 162 870 STATIST	A C
11	min 102 818 20/241	4 A
12	Siglar go Faily coll.	SICILANZ
13 8	multiple the sto corrist	2-9217/5
14	त्रामन सिर्दे अन्यम सिर्भापती	RIAR.
15	उदम खिंह जुन्मीताराम	342142
16	and metal so sites with	terrentale
18 -	वीर (सेटे कु छिन्न (फी वी	JUJI3
19	eikiza (GE So DI (K) di	AW
		The Arroyal HEEL *
	* fq	14/02/16